न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

प्रकरण अपील (रसद)संख्या 08/24
जीसीएमएस संख्या 2024/68 वर्ष 2024

बउनवानीः–जय संतोषी माता उचित मूल्य उचित मूल्य दुकानदार पी.ओ.एस. मशीन नम्बर 20432 ग्राम पंचायत मकसूदनपुरा तह. मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर जरिये सचिव सुनिता

बनाम

1. सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर
2. सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर मिसल संख्या 69/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान फूड ग्रेन एवं असेसियल आर्टीकल रेगूलेसन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर्डर 1976)

उपस्थितः–श्री अभय कुमार गुप्ता — वकील अपीलान्ट
श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) — पैरोकार रसद

–:निर्णय :– दिनांकः– 20.8.2025

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 04.04.2024 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है के विरूद्व इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व है, जिसको खारिज फरमांया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर अदालत हाजा मे दर्ज रजिस्टर की गयी। तत्पश्चात विपक्षी. की तलवी जरिये नोटिसं किये जाने के साथ ही अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया जाकर अपील के सन्दर्भ मे बहस वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य होने योग्य हैं। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत मकसुदनपुरा तहसील मलारना डूँगर की उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है जिसका प्राधिकार पत्र रेस्पो0 द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी बिना किसी शिकायत के ईमानदारी से पिछले कई वर्षो से उचित मूल्य सामग्री का वितरण कार्य करती चली आ रही है। अपीलान्ट के विरूद्व राजनैतिक द्वेषता एवं अन्य उचित मूल्य दुकानदार को फायदा पहुँचाने की गरज से कुछ उपभौक्ताओं द्वारा झूठी शिकायत की गयी है। अपीलान्ट जय संतोषी माता एक स्वंय सहायता समूह द्वारा राजस्थानं खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनियम आदेश तथा समय–समय पर तथा खाद्यान्न विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उपभौक्ताओं को राशन सामग्री का वितरणं किया जा रहा है जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है किन्तु शिकायतकर्ताओ ने अवैधानिक तरीके से अपना एक समूह बना रखा है। यह तर्क भी दिया कि श्रीमान के समक्ष उपभौक्ताओं द्वारा दिनांक 29.11.2023 को झूंठी शिकायत पेश की गयी थी जिसपर संबंधित प्रवर्तन निरीक्षक से जॉच करवाकर कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जिला रसद अधिकारी को भिजवाया गया था साथ ही शिकायतकर्ताओ ने अपने राशन कार्ड संख्या एवं मोबाईल नम्बरो सहित हस्ताक्षरित एक पत्र भी संलग्न किया था जिसपर केवल मात्र अपीलान्ट के विरूद्व दुर्भावना एवं द्वैषता रखने वाले 8 उपभौक्ताओं मे से 6 शिकायतकर्ताओ के ही हस्ताक्षर है। इस तथ्य पर अपना निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही कर अपना निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। [illegible] भी दिया कि शिकायतकर्ता की शिकायत श्रीमान के समक्ष दिनांक 29.11.2023 को प्रस्तुत [illegible] के उपरान्त दो दिवस में जॉच कराये जाने से पूर्व ही जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर [illegible] स्वेच्छारी एवं मनमाने [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

(कानाराम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

से बिना अपीलान्ट को सूचित किये एवं बिना जॉच करवाये ही उसी दिन दिनांक 29.11.2023 को अपीलान्ट को पत्र क्रमांक 3183 जारी कर उचित मूल्य दुकानदार पी.ओ.एस. नम्बर 20432 का प्राधिकार पत्र निलंबित कर अन्य उचित मूल्य दुकानदार श्री शिवचरण गुर्जर पीओएस मशीन संख्या 20338 के अटैचमेंट कर कर दिया। पत्रावली से प्राप्त प्रमाणित नकल के अनुसार शिकायत देने की दिनांक 29.11.2023 शिकायत के साथ संलग्न पत्र की दिनांक 29.11.2023 पत्र क्रमांक 3177 दिनांक 29.11.2023 निलंबित आदेश पत्र क्रमांक 3183 दिनांक 29.11.2023 से प्राधिकार पत्र निलंबित आदेश पत्र क्रमांक 3168 दिनांक 29.11.2023 एक साथ एक ही दिनांक को तैयार कर पत्रावली शामिल किया जाना पूरी तरह से इस बात को प्रमाणित करता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय स्वैच्छारी ढंग से विधिक प्रावधानो एवं विधिक सिद्वान्तों के विरूद्व पारित किया गया है तथा उक्त सभी कार्यवाही के संबंध मे अपीलान्ट को कोई सूचना अथवा जानकारी नही दी गयी इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 4.4.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि शिकायतकर्ताओ द्वारा शिकायत मे दर्ज तथ्यों के संबंध मे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जॉच करने हेतु संयुक्त जॉच दल का गठन दिनांक 29.11.2023 को करते हुए जॉच दल मे श्रीमति पूजा मीना एवं श्रीमति वन्दना मीना प्रवर्तन निरीक्षक को शामिल किया है जबकि संयुक्त जॉच दल के द्वारा दो दिवस मे जॉच किये जाने बाबत पत्र क्रमांक 3247–48 दिनांक 4.12.2023 को जारी किया गया है जिसके प्रत्युत्तर मे वंदना मीना प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गयी जॉच दिनांक 11.12.2023 को तैयार कर जिला रसद अधिकारी कार्यालय को दिनांक 12.12.2023 को भेजी गयी थी जिसमे मे अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नही बतायी गयी है। किन्तु जॉच रिपोर्ट फर्द स्टॉक ट्रान्सफर/फर्द मौका/फर्द सामूहिक बयान पूछताछ पर गहनता से अध्ययन किये बगैर ही जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के द्वारा आनन फानन मे मनमाने तरीके से आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रार्थी के विरूद्व किसी प्रकार की 6ए की कार्यवाही लम्बित नही है तथा एक ओर दिनांक 29.11.2023 को शिकायत पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 29.11.2023 को ही निलंबित कर अटैचमेंट के आदेश जारी किये गये है वही दूसरी ओर विधिक प्रावधानो के विपरीत प्रार्थी अपीलान्ट को पत्र क्रमांक 311 दिनांक 2.2.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसकी प्रति कार्यालय मे दिनांक 13.2.2024 को जिला रसद कार्यालय में आने पर तथा प्रकरण की जानकारी करने पर सम्पत को हस्ताक्षर करवाकर दी गयी है जिसका जवाब भी अपीलान्ट की ओर से दिनांक 13.2.2024 को ही नियत अवधि मे प्रस्तुत कर दिया गया किन्तु अपीलान्ट के जवाब को निर्णय में कन्सीडर नही किया है। अपीलान्ट की पीओएस मशीन मे 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ व 3 फूड पैकेट कम होने का आरोप निराधार है। उक्त गेंहूँ विभाग द्वारा पीओएस मशीन मे तो सीधे चढा दिया गया किन्तु अपीलान्ट को प्राप्त नही हुआ है। क्योकि आवंटित माल का स्टॉक पीओएस मशीन मे कार्यालय से ही चढाया जाता है। जिसकी जानकारी अपीलान्ट को माल प्राप्त होने पर ही होती है प्रार्थी अपीलान्ट के स्टॉक मे किसी प्रकार की कोई अनियमितता अथवा गबन नही है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब में उक्त गेंहूँ जमा कराने का आदेश प्रदान किये जाने हेतु जिला रसद अधिकारी से निवेदन किया था किन्तु शिकायतकर्ताओं के दबाव मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब को दरकिनार करते हुए अपना निर्णय पारित कर अहम भूल की है। समय समय पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.8.2016 एवं संशोधित आदेश दिनांक 24.3.2017 के प्रावधानो को दरकिनार करते हुए अपना निर्णय पारित कर अहम भूल की है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.3.1994 जिसमे यह [illegible] निर्देश दिये गये है कि किसी अपरिहार्य कारण से एवं किसी छोटी मोटी तकनीकी कमियों [illegible] के विरूद्व मुकदमा नही बनाया जावे। अपीलान्ट के उपर कोई [illegible] के बावजूद भी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:58:06 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

दिशा निर्देशो के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील खारिज करने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट जय संतोषी माता उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मकसुदनपुरा के उचित मूल्य दुकानदार पीओएस मशीन संख्या 20432 की आम जनता ग्राम पंचायत मकसुदनपुरा द्वारा शिकायत कर उ.मु.दुकानदार द्वारा फर्जी तरीके से राशंन सामग्री गरीबो को नही बांटकर गबन करने एवं उपभौक्ता रामधन गुर्जर सहित कुल आठ उपभौक्ताओ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर डीलर द्वारा पीओएस मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेंहूँ का गबन करने बाबत लिखा जाने पर कार्यालय पत्रांक 3168 दिनांक 29.11.2023 द्वारा उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया तथा उक्त दुकान का अस्थायी अटैचमेंट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3183 दिनांक 29.11.2023 से श्री शिवचरण गुर्जर पीओएस मशीन संख्या 20338 ग्राम पंचायत चकबिलोली के माध्यम से करवांया जाकर जरिये पत्रांक 3177 दिनांक 29.11.2023 से संयुक्त जॉच दल का गठन जिसमे प्रवर्तन निरीक्षक श्रीमति पूजा मीना एवं वन्दना मीना को संयुक्त जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। पुनः कार्यालय पत्रांक 3247–48 दिनांक 4.12.2023 से दोनो प्रवर्तन निरीक्षक को जॉच करने हेतु लिखा जाने पर श्रमति वन्दना मीना द्वारा दिनांक 12.12.2023 को जॉच रिपोर्ट पेश कर बताया कि उचित मूल्य दुकानदार दौराने जॉच उपस्थित मिला एवं पीओएस मशीन संख्या 20432 में 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ एवं 3 फूड पैकेट मिलें। उ0मू0दुकानदार द्वारा बताया कि माह दिसम्बर,2023 में 5134.800 किलोग्राम गेंहूँ की आवक हुई है तथा अटैचमेंट दुकानदार श्री शिवचरण गुर्जर को 5134.800 किलोग्राम गेंहूँ सम्भलाया गया है इसके अतिरिक्त 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ एव 3 फूड पैकेट नही सम्भलाये गये है। उचित मूल्य दुकानदार के सचिव द्वारा अवगत कराया कि 3 फूड पैकेट प्राप्त नही हुऐ है तथा 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ निगम से प्राप्त नही हुआ है यदि निगम से प्राप्त होगा तो 10 दिवस मे उक्त गेहूँ अटैचमेंट डीलर को संभला दूंगा। मौके पर उपस्थित उपभौक्ताओं द्वारा अपीलान्ट डीलर की कोई शिकायत नही बताया जाना अपनी जॉच रिपोर्ट में अंकित किया है। श्रीमति वंदना मीना द्वारा पूर्ण जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत नही करने पर पुनः जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु पत्रांक 3269–70 दिनांक 12.12.2023 से श्रीमति पूजा एवं वन्दना मीना को लिखा गया। श्री शिवचरण गुर्जर अटैचमेंट डीलर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि जय संतोषी मॉ उचित मूल्य दुकानदार द्वारा निलम्बन के पश्चात उक्त दुकान की पीओएस मशीन मे 34.56 क्विंटल गेंहूँ मुझे नही दिया है। इसपर कार्यालय पत्रांक 311 दिनांक 2.2.2024 द्वारा उ0मू0 दुकानदार को पीओएस मशीन मे अंगूॅठा लगवाकर राशन सामग्री नही देना ,डीलर के पति सम्पत गुर्जर द्वारा उपभौक्ताओं से गाली गलोच एवं अभद्रता करना, तथा अटैचमेंट डीलर को 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ एवं 3 फूट पैकेट नही सम्भलाना इत्यादि आरोप लगाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उक्तानुसार लगाये गये आरोपो के संबंध में अपीलान्ट डीलर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

(कान्हा राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अपने बचाव पक्ष में प्रस्तुत जवाब के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत, यथा स्टॉक रजिस्टर,बिल बाउचर,चालान इत्यादि पेश नही किये गये ओर ना ही पीओएस मशीन संख्या 20432 मे उपलब्ध 3456.55 किलोग्राम गेहूँ एवं 3 फूट पैकेट को अटैचमेंट डीलर को सम्भलाया गया है। इस प्रकार अपीलान्ट डीलर द्वारा 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ एवं 3 फूड पैकेट का दुरूपयोग करने का आरोप प्रमाणित होने पर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 8 व 9 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

वकील अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि पैरोकार रसद के कथन एवं पत्रावली पर उंपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार जय संतोषी माता उ0मू0 दुकानदार द्वारा 3 फूड पैकेट एवं 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ निगम से प्राप्त नही होने बाबत किये गये कथन के समर्थन मे कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। जहॉ तक अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये जाने का प्रश्न है तो इसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 13.2.2024 को प्रस्तुत जवाब से हो जाती है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा दिनांक 14.3.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त राशन सामग्री 34.56 क्विंटल गेहूँ को मई,2024 तक वितरण करने बाबत निवेदन करते हुऐ अनुज्ञा पत्र बहाल करने हेतु जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर से निवेदन किया है जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त राशन सांमग्री 3 फूड पैकेट एवं 3456.55 किलोग्राम गेंहूँ का गबन किया है। अतः जिला रसद अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि भी नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.8.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner